अनन्त जोहिया **बनाम** भजन लाल आदि

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 29 आरटीए सहपठित धारा 144 व आदेश 47 नियम 1 सीपीसी

प्रकरण संख्या 02 सन् 2019 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/245

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 29 आरटीए सहपठित धारा 144 व आदेश 47 नियम 1 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा पुनर्विलोकन याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि प्रकरण संख्या 03/2021, अनवान भजनलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 50 एफ आदि अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट में अपनी माता ओमी देवी की तथाकथित वसीयत क आधार पर भाई चेतराम के विरास्तन नामान्तरण को चुनौती दी गयी थी। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2024 को उक्त मूल अपील स्वीकार कर अपीलकृत विरास्तन नामान्तरण को खारिज कर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिए गए है। वादगत भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट 3, 5 के द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 08.09.2022 को मुझ प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है। जमाबन्दी में नामातंरण भी प्रार्थी के नाम से दर्ज हो गया था। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलार्थी भजनलाल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र मुझ प्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मूल अपील में मुझ प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रार्थी उक्त भूमि का सद्भावी क्रेता है और सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर, विधिवत रूप से जरिए पंजीकृत बैयनामा भूमि खरीद की गई है। अब मुझ प्रार्थी को अंधेरे में रखकर, एकतरफा कार्यवाही कर मेरे खिलाफ आदेश पारित किया गया है। अतः पुनर्विलोकन याचिका पेश कर निवेदन है कि अपील में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 का पुनर्विलोकन किया जाकर आदेश दिनांक 12.07.2024 निरस्त फरमाया जावे व प्रार्थी को अपील में रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाकर आपत्ति पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवदेन किया कि याची द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 3 व 5 से खरीद करना बता रहा है, जो कि उक्त अपील में पक्षकार थे, उन्हें अपील के तथ्यों की बखूबी जानकारी थी, प्रार्थी स्वंय भी क्रेता सावधान के नियम से सम्यक जांच के दायित्वाधीन था। फिर खरीद के उपरान्त जब भूमि का कब्जा ही उसे प्राप्त नहीं हुआ तो यह भी उसे उक्त कार्यवाही की पर्याप्त सूचना होना ही थी। उक्त अपील के साथ प्रस्तुत किए गए स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में याची को ना केवल पक्षकार बनाया गया, अपितू उसके विरूद्व स्थगन आदेश का अनुतोष भी चाहा गया। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की विधिवत् तामील भी करवाई गई थी। बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर याची विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश फरमाये गए। ऐसे में याची यह नहीं कह सकता कि उक्त अपील की उसे जानकारी नहीं रही। अतः जवाब पुनर्विलोकन याचिका अयाची संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे। लिहाजा प्रकरण संख्या 03/2021, अनवान भजनलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 50 एफ आदि अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में प्रार्थी बतौर अप्रार्थी पक्षकार था। प्रार्थी के द्वारा मूल अपील संख्या 03/2021 पक्षकार संयोजित होने बाबत कोई चाराजोही नहीं की गई है। प्रकरण संख्या 03/2021 का निर्णय दिनांक 12.07.2024 को हो चुका है। जिसका पुनर्विलोकन किया जाना हम विधिसंगत नहीं समझते है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर पुनर्विलोकन याचिका भली-भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)